न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(पर्चा डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

(अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई)

उनवान

मोत्या बनाम चौथमल

मुकदमा नम्बर :– 163/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 मे वर्णित खाता संख्या 53 में वर्णित ख0नं0 21 रकबा 36 बीघा एवं ख0नं0 28 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 55 बीघा 3 बिस्वा मे वादीया का 1/9 हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 54 में वर्णित भूमि में ख0नं0 169 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 183 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बिस्वा में वादीया के 1/8 हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 161 मे वर्णित भूमि ख0नं0 122/2 रकबा 5 बीघा मे वादीया का सम्पुर्ण हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 162 मे वर्णित ख0नं0 41/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 43 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 50 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 55 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 140 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 156 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 159 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 160 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 177 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 230 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 234 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 241 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 1087 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा में वादीयां को 1/2 हक व हिस्से तथा खाता संख्या 163 में वर्णित भूमि ख0नं0 1088 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा मे वादीया का 2/3 हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 164 में अंकित ख0नं0 255 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे वादीया का 1/4 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चौथू उर्फ चौथमल तथा बद्री पिसरान भीवा, शकुरी बेवा भीवा का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर वादीयां का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/01/26 को जारी की गई।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

इजलास अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

दावा संख्या :–163/2005

निर्णय दिनांकः– 12/01/2026

उनवान

1. मोत्या बेवा भोज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0– मृतक
1/1. अंकिता पुत्री भोज्या माता मोत्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0 जरिये संरक्षक खेमराज पुत्र केदार जाति गुर्जर निवासी ग्राम चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक राज0

वादीगण

बनाम

1. चौथमल उर्फ चौथू मुतबन्ना भूवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
2. बद्री पुत्र मुतबन्ना रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक
3. शकूरी बेवा भीमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक–डिलिट–
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयक निवाई निवाई तह0 जिला टोक
5. नर्बदा पुत्री रामेश्वर जाति खाती निवासी ग्राम चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक राज0
6. सुरेश पुत्र रामबिलास जाति शर्मा ब्राहम्ण निवासी ग्राम चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1 श्री रामावतार शर्मा (अधिवक्ता वादीगण)
2 श्री रमेश कुमार शर्मा (प्रतिवादी संख्या 5 व 6)
प्रतिवादी 1 व 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही तथा 3 का नाम हजब

दावा बाबत इस्तकरार हक घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वाके ग्राम चैनपुरा में जमाबन्दी संख्या 2058 से 61 में अंकित खाता सं0 161 में वर्णित अराजी ख0नं0 122/2 रकबा 5 बीघा जिसमे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का बराबर–बराबर अर्थात 1/2–1/2 हिस्से के काबिज काश्तकार है तथा काश्त करते चले आ रहे है। जिनका राजस्व रिकार्ड में चाथू एवं बद्री का नाम बतौर खातेदार गलत अंकित कर रखा है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी नं0 1 चौथमल काफी वर्षो पूर्व भूवाना गुर्जर ग्राम चैनपुरा के यहा गोद चला गया था तथा बद्री रामनाथ के यहा गोद चला गया था। इस कारण उक्त दोनो व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नही है। इस कारण उक्त भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी सं0 3 1/2– 1/2 हिस्से के बतौर मालिक काबिज काश्त चले आ रहे है। खाता संख्या 162 मे वर्णित आराजी ख0नं0 41/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 43 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 50 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 55

सहाय कलक्टर
(फा

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 138 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 140 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 156 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 159 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, ख0नं0 160 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 177 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 1 बिस्वा, ख0नं0 234 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 241 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 251 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 1087 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरा में स्थित है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 1/4–1/4 हक व हिस्से के मालिक स्वामी है। उक्त खाते में भी बद्री एवं चौथू का नाम गलत तरीके से अंकित कर वादीया एवं प्रतिवादी नं0 3 के साथ राजस्व रिकार्ड में अंकित कर रखा है। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी सं0 3 को 1/4–1/4 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। खाता संख्या 163 में अंकित आराजी ख0नं0 1088 रकबा 1 बीघा 7बिस्वा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 2/3 हक व हिस्ससा निहित है तथा खाता संख्या 164 में अंकित ख0नं0 255 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8–1/8 हक व हिस्सा है तथा खाता संख्या 53 में अंकित ख0नं0 21 रकबा 36 बीघा एवं 28 में रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 55 बीघा 3 बिस्वा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 हक व हिस्सा एवं खाता संख्या 54 में वर्णित ख0नं0 169 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 183 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0चाह किता 2 रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरा में स्थित है। जिसमे वादीया एपं प्रतिवादी सं0 3 का 1/8 हक व हिस्सा निहित है किन्तु उपरोक्त वर्णित समस्त आराजियात में चौथमल जो कि भुवाना गुर्जर एवं बद्री अपने ही चाचा रामनाथ गुर्जर के यहा गोद चलो गया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनो भूवाना व रामनाथ के वारिस होकर अंकित खातेदार कब्जे काश्त की भूमि पर मालिक स्वामी हो गये। चौथमल एवं बद्री के गोद जाने के बा उपरोक्त वर्णित आरिजियात में उनका किसी प्रकार का काई हक व हिस्सा निहित नही है ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आरिजियात में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का बराबर–बराबर हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषिति किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुस्स्ती कर प्रविादी संख्या 1 व 2 का नाम उपरोक्त वर्णित समस्त आराजियात में से हटाया जाकर बतौर खातेदार वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 का नाम खातेदारी में अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त वर्णित खाता संख्या में वर्णित आराजियात जो कि वाके ग्रम चैनपुरा में स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उन्य व्यक्तियों के यहा चले जाने के कारण उनका इस भूमि में किसी प्रकार का काई हक व अधिकार नही रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियो की त्रूटि एवं सहवन के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम वादीया एवं प्रतिवादी सं 3 के नाम के साथ बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अवैध एवं अवैधानिक तरीके से अंकित कर रखा है जिसका प्रतिवादी सं0 1 व 2 नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति के हक मे बैचान स्थानान्तण करने पर आमादा है तथा तरीके से वादीया एवं प्रतिवादी सं0 3 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि को हडप कर जाना चाहते है। जिसका उनको कोई वैधानिक अधिकार नही है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे किवे समस्त आराजि सम्बत 2058–61 में अंकित खाता सं0 53, 54, 161, 162, 163, 164 में वर्णित आराजी को बेचान, रहन, गिरवी व हस्तान्तरण आदि स्वयं किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के हक में नही करें तथा वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत स्वयं नही करे एवं नही जरिये ऐजेन्ट, नौकर, पारिवारिक व्यक्ति, अधिनस्थ कर्मचारियो से नही करावें। प्रतिवादीगण को उक्तानुसार पाबन्द नही किया गया तो वादीया अपने वैधानिक हक व अधिकारो से वंचित हो जावेगी तथा वादीया को अपूर्णिय तथा अकथनिय वैध क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी तथा अत्यन्त असुविधा कारित होगी। वादीया क हक व हिस्से की भूमि उसके हाथो से निकल जावेगी जिसके कारण वादीया बरबाद हो जावेगी तथा मौके पर आये दिन लडाई झगडे होंगे। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सहायक
(फास्टट्रेक

दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 25.10.05 को राजेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 बाद सूचना अनुपस्थित इस कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से दिनांक 13.03.07 जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। जिसके अनुसार वादीया का वाद वर्णित आराजियात में किसी प्रकार से भी होई हक व हिस्सा नही है केवल प्रतिवादीया संख्या 3 का अकेली का ही हक व हिस्सा है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटवाने व मुकदमें में दुरूस्ती करवाने का अधिकार वादीया को नही है। प्रतिवादी सं0 1 मीमा का लडका है तथा वह किसी मूवाना के गोद नही गया है राजस्व रिकार्ड में जो आराजियात प्रतिवादी सं0 1 के नाम लगी है। व ह सही रूप में लगी ही। प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम प्रतिवादी सं0 3 के साथ बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में सही रूप से अंकित किया गया है। तथा मौके पर आज भी हम प्रतिवादीगण ही काबिज है। दिनांक 18.07.07 को तनकियात कायम की गई। प्रार्थीया नर्बदा जांगिड एवं सुरेश शर्मा की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थीया नर्बदा जांगिड एवं सुरेश शर्मा को प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया। वादीया वकील द्वारा प्रा0पत्र धारा 151, 152 सीपीसी पेश किया गया। प्रा0पत्र आदेश 8 नियम 6 (ग) पेश हुआ। जिस पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। प्रा0पत्र आदेश 8 नियम 6 ग धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया। प्रा0पत्र 151, 152 सीपीसी पर बहस सुनी गई। प्रा0पत्र 151, 152 सीपीसी स्वीकार किया गया। वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबबुल जवाब पेश किया गया। प्रा0पत्र ओदश 8 नियम 6 (ग) 151 सीपीस एवं आदेश 6 नियम 14, 15, 16 सीपीस पेश किया गया। बहस प्रा0पत्र ओदश 8 नियम 6 (ग) 151 सीपीसी सूनी गई। 100 रूपये की Cost पर स्वीकार किया गया। प्रा0पत्र आदेश 6 नियम 14, 15, 16 सीपीसी पर बहस सूनी गई। वकीलवादी ने प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 पेश किया। जिसे अभिभाषक प्रतिवादीगण की सहमती से स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजब किया गया। प्रा0पत्र ओदश 8 नियम 6 (ग) 151 सीपीसी अभिभाषकगण की सहमति से स्वीकार किया गया। वादी की ओर से एडवोकेट शिवराज चौधरी उपस्थित एवं प्रतिवादीगण असालतन वकालतन गैर हाजिर होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रा0पत्र आदेश 11, 12 व 14 सपठित धारा 151 सीपीसी का सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रा0पत्र आदेश 11, 12 व 14 सपठित धारा 151 सीपीसी बहस के बाद जवाब बन्द किया गया तथा प्रा0पत्र आदेश 11, 12 व 14 सपठित धारा 151 सीपीसी बहस के बाद स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अभि0 वादी के नो–ऑब्जेक्शन (अनापत्ति) के साथ पेश होने के कारण स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त की गई। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मनसुख किये जाने एकतरफा कार्यवाही पर उभयपक्षकारान को सुना गया और प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। वादी क ी ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 उभयपक्षकार के अधिवक्ता की सहमति से स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से प्रा0पत्र आदेश 14 नियम 2 (1) धारा 151 सीपीसी पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रामकल्याण पुनिया एडवोकेट ने यू0टी0 पेश की प्रार्थिया/वादिया अंकिता की ओर से श्री रामावतार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 1 नियम 10 पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 1 नियम 10 उभयपक्षकार की सहमति से स्वीकार किया गया। वादी की ओर से संशोधित शिर्षक पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत मनसुख किये जाने एकतरफा कार्यवाही को 1000/– की cost पर स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ बार–बार आवाज लगाने के बाद भी गैर हाजिर होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। वादी की ओर से अंकिता व केदार

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) ...

Scanned with OKEN Scanner

का शपथ पत्र पेश किया गया। वादीया की ओर से प्रा0पत्र अन्तर्गत ओदश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत संशोधित किये जाने बाबत पेश किया। राधाकिशन पुत्र छीतर गुर्जर की ओर से शपथ पत्र (साक्ष्य) PW-3 पेश किया। प्रा0पत्र अन्तर्गत ओदश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत संशोधित किये जाने बाबत पर बहस सूनी गई। प्रा0पत्र अन्तर्गत ओदश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत संशोधित किये जाने बाबत स्वीकार किया गया। संशोधित वादपत्र पेश किया गया। अंकिता पुत्री मोत्या के संरक्षक खेमराज पुत्र केदार गुर्जर एवं केदार पुत्र रूगनाथ गुर्जर से जिरह की गई। प्रतिवादीगण की ओर कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण प्रतिवादी का साक्ष्य/जिरह बन्द की गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के अधिवक्ता की बहस सूनी गई। बहस का चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादी की ओर से बतौर दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2058–61 खाता संख्या 53 पेश किये जो प प्रदर्श–1 है। तथा खाता संख्या 54 प्रदर्श–2, खाता संख्या 161, 162, 163, 164 प्रदर्श–3 ता 6, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–7 व 8, निर्वाचन नामावली प्रदर्श–9, तथा गोदनामा प्रदर्श–10 पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। वादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद के मुताबिक उपरोक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि ग्राम चैनपुरा में स्थित है जिसमें वादीयां का खाता संख्या 162 मे 1/2 हक व हिस्सा खाता संख्या 161 में सम्पूर्ण हिस्सा, खाता संख्या 163 मे 2/3 हक व हिस्सा एवं खाता संख्या 164 में 1/4 हक व हिस्सा, खाता संख्या 53 में वादीयां का 1/8 हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 54 में 1/8 हक वहिस्सा निहित होना अंकित किया गया है तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात में चौथमल व बद्री ग्राम चैनपुरा मे ही चौथमल भूवाना के गोद जा चुका था तथा बद्री अपने चाचा रामनाथ के यहा गोद जा चुका था जिसके पश्चात भीमा के तीन पुत्र भोज्या, बद्री, चौथु मे से केवल मात्र भीमा के एकमात्र वारिस भूमि का मालिक स्वामी भोज्या रहा था तथा उनकी पत्नि शकुरी रही किन्तु शकुरी की भी मृत्यु हो जाने के कारण उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भीमा के सम्पूर्ण हक व हिस्से की मालिक वादीयां मोत्या एवं मोत्या की मृत्यु के पश्चात उसकी एकमात्र गोद पुत्री वादीयां अंकिता ही मालिक स्वामी चली आ रही है। इस कारण वाद पत्र के चरण संख्या 1, 2, 3 में अंकित बद्री, चौथु पिसरान भीमा, शकुरी बेवा भीमा का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर बतौर मौत्या बेवा भौज्या की वारिस वादीयां अंकिता को उक्त वादग्रस्त भूमि में भीमा के सम्पूर्ण हक व हिस्से का वादीयां को काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर पाबन्द किया जावें। जिसके समर्थन में वादीयां ने रजिस्टर्ड रिकार्ड गोदनामा एवं निर्वाचक नामावली से स्पष्ट रूप से बद्री चौथू पिसरान भीमा अन्य व्यक्ति के गोद जा चुके है जिसमे चौथू भूवाना के तथा बद्री रामनाथ के यहा गोद जाना स्पष्ट रूप से साबित व प्रमाणित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम तथा हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 12 के तहत स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो उस व्यक्ति का प्राकृतिक पिता व उसके परिवार से समस्त सम्बन्ध समाप्त हो जाते है तथा उसका सम्बन्ध गोद पिता एवं उसके परिवार में स्थापित हो जाते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में चौथू एवं बद्री के गोद चले जाने के बाद भीमा के द्वारा छोडे गये उनके हक व हिस्सें मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई विधिक हक व अधिकार शेष नही रहता है तथा उनके गोद जाने के पश्चात उक्त भूमि के वास्तविक व वैधानिक मालिक स्वामी भीमा का पुत्र भोज्या एवं उनकी पत्नि शकुरी ही पुर्णतया मालिक शेष रही है। जिसमे से दौराने दावा भोज्या की माता शकुरी का भी देहान्त हो चुका है। जिसका हक व हिस्सा भी भोज्या एवं उनकी बेवा मोत्या तथा मोत्या की मृत्यु के कारण उसकी गोद पुत्री अंकिता ही पुर्णतया मालिक स्वामी रही है। (जो कि रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर) जिसके आधार पर वादी का वाद पुर्णतया सिद्ध व प्रमाणित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 मे वर्णित खाता संख्या 53 में वर्णित ख0नं0 21 रकबा 36 बीघा एवं ख0नं0 28 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 55 बीघा 3 बिस्वा मे वादीया का 1/9 हक व हिस्सा तथा

सहायक कलेक्टर
(फास्टट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या 54 में वर्णित भूमि में ख0नं0 169 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 183 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बिस्वा में वादीया के 1/8 हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 161 मे वर्णित भूमि ख0नं0 122/2 रकबा 5 बीघा मे वादीया का सम्पुर्ण हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 162 मे वर्णित ख0नं0 41/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 43 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 50 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 55 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 140 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 156 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 159 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 160 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 177 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 230 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 234 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 241 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 1087 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा में वादीयां को 1/2 हक व हिस्से तथा खाता संख्या 163 में वर्णित भूमि ख0नं0 1088 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा मे वादीया का 2/3 हक व हिस्सा तथा खाता संख्या 164 में अंकित ख0नं0 255 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे वादीया का 1/4 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चौथू उर्फ चौथमल तथा बद्री पिसरान भीवा, शकुरी बेवा भीवा का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर वादीयां का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12/01/26 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner